



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022023-243346
CG-DL-E-02022023-243346

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 1, 2023/माघ 12, 1944

No. 457]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2023/ MAGHA 12, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2023

का.आ. 472(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.- 501(अ) तारीख "07/02/2022", जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में अहमदाबाद-बामणबोर-राजकोट NH47 के कि.मी. 7 से कि.मी.72.1 तक के भूखण्ड पर के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित २-लेन/४ लेन का बनाना आदि)), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "23/03/2022" को "गुजरात समाचार" और तारीख "23/03/2022" को "टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में NH47 अहमदाबाद-बामणबोर-राजकोट कि.मी. 7 से कि.मी.72.1 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित जमीन का विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: अहमदाबाद		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बावला				
	गांव का नाम: बगोदरा				
1	295	निजी	कृषि	0.0578	मकवाना शैलेशभाई दिनेशभाई, मकवाना सुभाषभाई दिनेशभाई, दिनेशभाई दानुभाई, चंपाबेन चिकाभाई, मधुबेन चिकाभाई, जनकबेन चिकाभाई, मीनाबेन चिकाभाई ()
2	308	निजी	कृषि	0.0307	इंदुबेन महेन्द्र सिंह, विराटसिंह महेन्द्र सिंह, घनश्याम सिंह महेन्द्र सिंह ()
3	309	निजी	कृषि	0.0823	बटुकभाई चंदूभाई, नटवर सिंह चंदूभाई, इंदुबेन महेन्द्रसिंह, विराटसिंह महेन्द्रसिंह, घनश्यामसिंह महेन्द्रसिंह ()
4	716	निजी	गैर कृषि	0.1324	अश्विन कुमार नाथुभाई, वसंतबें कार्तिकुमार, हितेश कुमार कार्तिक कुमार, माइनर रिद्धिबेन कार्तिकुमार, माइनर आस्थाबें कार्तिकुमार, लिलाबें वल्लभभाई, लिलाबें वल्लभभाई, जोसनबेन वल्लभभाई, भावनाबेन वल्लभभाई, इलाबेन वल्लभभाई, पंकजभाई वल्लभभाई, अशोकभाई वल्लभभाई, परिबेन चतुर्भाई, भारतभाई चतुर्भाई, त्रिजेशभाई अलियास ओफ विजेशभाई चतुर्भाई, रणजीतभाई हरिभाई, कैलासबेन विनयकुमार, अवनिबेन विनयकुमार, आत्मीयकुमार विनयकुमार, आनन्दकुमार विनयकुमार, आशिषभाई सुनीलभाई मकवाना, एकताबें सुनीलभाई मकवाना ()

	गांव का नाम: मिठापुर				
5	14	निजी	कृषि	0.0405	गंगाबेन कानजीभाई, गगजीभाई कानजीभाई, खोडाभाई कानजीभाई, मोंगीबेन कानजीभाई, अर्जनभाई कानजीभाई, नानीबेन कानजीभाई ()
			कुल	0.3437	

[फा. सं. NHAI/BOT/DBFO-Ahmedabad/NH-8A&B/2013/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2023

S.O. 472(E).—Whereas by the notification the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, SO 501(E) Date.07/02/2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.) Maintenance, management and operation of The AHMEDABAD-BAMANBOR-RAJKOT NH47 on the stretch of land from Km 7 to Km 72.1 (AHMEDABAD RAJKOT SECTION) in the district of AHMEDABAD in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in “Gujarat samachar” dated 23/03/2022 and “The Times of India” dated 23/03/2022 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the National Highway No.47 (Ahmedabad-Bamanbor-Rajkot) in the stretch of land from K.M. 7-000 to K.M. 72-100 stretch of land in the district of AHMEDABAD in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: AHMEDABAD		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6

	Taluk: Bavla				
	Village: Bagodara				
1	295	Private	AGRICULTURE	0.0578	Makwana Shaileshbhai Dineshbhai, Makwana Subhashbhai Dineshbhai, Dineshbhai Danubhai, Champaben Chikabhai, Madhuben Chikabhai, Janakben Chikabhai, Meenaben Chikabhai
2	308	Private	AGRICULTURE	0.0307	Induben Mahendra Singh, Virat Singh Mahendra Singh, Ghanshyam Singh Mahendra Singh
3	309	Private	AGRICULTURE	0.0823	Batukbhai Chandubhai, Natwar Singh Chandubhai, Induben Mahendra Singh, Virat Singh Mahendra Singh, Ghanshyam Singh Mahendra Singh
4	716	Private	NON-AGRICULTURE	0.1324	Ashwin Kumar Nathubhai, Vasantben Kartikkumar, Hitesh Kumar Kartik Kumar, Minor Riddhiben Kartikkumar, Minor Asthaben Kartikkumar, Lilaben Vallabhbhai, Lilaben Vallabhbhai, Josnaben Vallabhbhai, Bhavnaben Vallabhbhai, Ilaben Vallabhbhai, Pankajbhai Vallabhbhai, Ashokbhai Vallabhbhai, Puriben Chaturbhai, Bharatbhai Chaturbhai, Brijeshbhai alias of Vijeshbhai Chaturbhai, Ranjitbhai Haribhai, Kailasben Vinaykumar, Avniben Vinaykumar, Aatmiyakumar Vinaykumar, Anandakumar Vinaykumar, Ashishbhai Sunilbhai Makwana, Ektaben Sunilbhai Makwana
	Village: Mithapur				
5	14	Private	AGRICULTURE	0.0405	Gangaben Kanjibhai, Gagajibhai Kanjibhai, Khodabhai Kanjibhai, Monghiben Kanjibhai, Arjanbhai Kanjibhai, Naniben Kanjibhai
			TOTAL	0.3437	

[F. No. NHAI/BOT/DBFO-Ahmedabad/NH-8A&B/2013/3D]

RAJESH GUPTA, Director